

SC-18
J/10713

In the High Court of Judicature at Patna
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____/OP. 2013.

Mostt. Sulochna Devi & OthersPetitioners
Versus

The State of Bihar and OthersRespondents

Subj- B.P.P.H.T. Act Matter

INDEX

Sl.No.	Description of Papers	Page No.
1.	Synopsis
2.	Civil Writ Application 1 to 12
3.	Annexure 1 : Copy of Parcha granted to Laddu.. Sah	13
4.	Annexure 2 : Copy of Rent Receipt 14
5.	Annexure 3 : Copy of petition dt. 14/8/2002... of Respondent No. 4 and 5	15-19
6.	Annexure 4 : Copy of Death Certificate of ... Laddu Sah	20
7.	Annexure 5 : Copy of Order Sheet containing.. Impugned Order dt. 30/1/2012	21-24
8.	<u>Vakalatnama</u>	

In the High Court of Judicature at Patna
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____/OF 2013.

Mostt. Sulochna Devi and Others.....Petitioners

Versus

The State of Bihar and Others Respondents

Synopsis

That the Petitioners, by this Writ petition, seek issuance of appropriate Writ and/Or Order for quashing the Order dated 30/1/2012. Passed by Respondent No. 2 in Basgit Case No. 11 of 2002, as set out in Annexure whereby he has Cancelled the Parcha granted by Respondent No. 3 in favour of Late Laddu Sah, the husband of petitioner No. 1 under the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act in the Year 1983.

29/7/1983:
Annexure 1:

Parcha granted to Laddu Sah by Order dated
29/8/1983.

Annexure 2:

A Copy of Rent Receipt.

14/8/2002:
Annexure 3:

A Copy of petition dated 14/8/2002 of Respondent
No. 4 and 5.

27/5/2005:
Annexure 4:

A Copy of Death Certificate of Laddu Sah dated
27/5/2005.

30/1/2012:
Annexure 5:

A Copy of Order Sheet containing the impugned Order
dated 30/1/2012.

(II)

Finding no efficacious alternative remedy .
available to them, are moving this Hon'ble Court.

Hence this Civil Writ Petition.

In the High Court of Judicature at Patna
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____/OF 2013

In the matter of an application
Under Article 226 of the
Constitution of India

And

In the matter of

1. Mostt. Sulochna Devi Wife of Late Laddu Sah
 2. Sanjay Sah
 3. Ashok Sah
 4. Kailu Sah
- |
|
|
|
|
|
|
|
- Miner Sons of Laddu Sah

Petitioner Nos. 2,3 and 4 are under the guardianship
-p of their natural guardian mother Most Sulochna
Devi (Petitioner No. 1). All resident of Bhagipur
P.S Alam Nagar District Madhepura.....Petitioners

Versus

1. The State of Bihar
 2. The Collector, Madhepura
 3. The Anchal Adhikari, Alam Nagar District Madhepura
 4. Ravindra Sah |
 5. Surendra Sah |
- | Sons of Late Ram Prasad Sah
- |
- |

Respondent Nos. 4 and 5 Both resident of Bhagipur
P.S Alam Nagar District Madhepura.

.....
.....Respondents

To,

The Hon^{ble} Ms. Justice Rekha M. Deshit, the
Chief Justice of the High Court of Judicature
at Patna and Her Companion Justices of the
said Hon^{ble} Court.

The Humble Petition on behalf of
the petitioner named above

Most Respectfully Sheweth:-

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the Petitioners, by this Writ Petition, seek issuance of appropriate Writ and/Or Order for quashing the Order dated 30/1/2012 Passed by Respondent No. 2 in Sasgit Case No. 11 of 2002, as set out in Annexure Whereby he has cancelled the Parcha granted by Respondent No. 3 in favour of Late Laddu Sah, the husband of Petitioner No. 1 under the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act in the Year 1983.

2. That the petitioners, in this Writ application, raise the following questions for determination:-

- I) Whether Respondent No. 2 is correct and justified in cancelling the Parcha granted in favour of Late Laddu Sah, the husband of petitioner No. 1 under the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act ?
- II) Whether Respondent No.2 could Cancelled

the Purcha by a criptic Order without applying his mind to the facts and circumstances of the case and without giving any reason for the cancellation of the Purcha ?

- III) Whether Respondent No. 2 is legally correct and justified in cancelling the Purcha granted in the Year 1983, after nearly 30 Years and that too without any cogent reasons ?
- IV) Whether the Collector, Madhepura (Respondent No. 2) could cancelled the Purcha after 30 years in exercise of powers under Section 21 of the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act ?
- V) Whether the Order passed by Respondent No.2 cancelling the Purcha is otherwise bad and illegal and is fit to be Set aside ?

3. That the facts in Short, are that Late Laddu

Sah, the husband of Petitioner No. 1 and father of Petitioner No. 2, 3 and 4, On 26/7/1983 made an application to Respondent No. 3 and prayed for issue a Basgit Parcha in respect of the land of Khata No. 232 Plot No. 1561 (Old) and 2196 (new) situated in Mouza Bhagipur P.S Alam Nagar under the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act which was registered as Basgit Parcha Case No. 51/82-83.

4. That Respondent No. sent the matter to Halka Karamchari for enquiry and report. The Halka Karamchari made enquiry and submitted his enquiry report On 27/7/1983 stating that the applicant is a landless person and has been living on the land in question after constructing a house over it. The applicant is a farm labourer and has got no land.

5. That on the basis of the above enquiry report Respondent No. 3 by his Order dated 29/7/1983 directed issue of Parcha in favour of the applicant Laddu Sah

in respect of the above land and in pursuance of the above Order Parcha was granted to the applicant Laddu Sah. The petitioners are unable to enclose the copy of Order dated 29/7/1983 of Respondent No. 3 because the Office of Respondent No. 3 has been sealed under Orders of the Collector (Respondent No. 2) on account of some irregularities in his Office and therefore no Certified copy could be obtained, only copy of Parcha is being enclosed.

A Copy of the Parcha granted to Laddu Sah is enclosed as Annexure 1 hereof.

6. That it is stated that since then the said Laddu Sah (husband of petitioner No. 1), with his family, has been living in the house constructed over the above Parcha land peacefully and ~~undisturbed~~ continuously and have been paying rent and getting receipt therefor.

A Copy of the Rent Receipt is

enclosed as Annexure 2 hereof.

7. That it is relevant to state that on 14/8/2002, the Respondent No. 4 and 5 filed a petition before the Collector, Madhepura (Respondent No. 1) purporting to be under Section 21 of the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, Challenging the Order dated 29/7/1983 passed by Respondent No. 3 for issue of Parcha in favour of Laddu Sah, which was registered as Basgit Parcha Case No. 11 of 2002.

A Copy of the petition dated

14/8/2002 of Respondent No. 4 and 5

is enclosed as Annexure 3 hereof

8. That it is stated that On 27/5/2005 the said Laddu Sah died leaving behind the petitioners as his legal heirs.

A Copy of the Death Certificate

of Laddu Sah is enclosed as

Annexure 4 hereof.

9. That thereafter, Respondent No. 2, by his Order dated 30/1/2012 passed in Basgit Case No. 11 of 2002, by a cryptic Order, without applying his mind to the facts and circumstances of the case, has cancelled the Parcha issued by Respondent No. 3 by his Order dated 29/7/1983 in favour of Late Laddu Sah, the predecessor of the petitioner, and that too after nearly 29 years without any cogent reason.

A Copy of the Order Sheet contain-
-ing the impugned Order dated
30/1/2012 is enclosed as
Annexure 5 hereof.

10. That it would be relevant to mention that the Respondent No. 4 and 5 filed the petition before Respondent No. 2 under Section 21 of the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act after nearly 19 years from the Order passed by Respondent No. 3 which was hopeless

time barred and was not maintainable but inspite of that Respondent No. 2 without applying mind to this aspect of the matter, has allowed the petition and cancelled the Parcha arbitrarily without considering the facts and circumstances of the Case.

11. That it is submitted that Respondent No. 2 under Section 21 of the Act (B.P.F.H.T Act) had no jurisdictions to cancelled the Parcha, at best he could have set aside the Order of the Anchal Adhikeri for issuing Parcha and that too in accordance with law having regard to limitation and after applying mind to the merit of the Case.

12. That in view of the above facts and circumstances the Order passed by Respondent No. 2, as set out in Annexure 5, is highly arbitrary, illegal, without jurisdiction and in Violation of the law of Limitation and is against the principles of natural justice.

13. That the petitioners are Citizen of India.

14. That the Petitioners, finding no efficacious alternative remedy available to them, are moving this Hon'ble Court for the first time in Writ jurisdiction for quashing of the impugned Order, as Set out in Annexure 5 above.

It is, therefore, Prayed that Your Lordships may graciously be pleased to issue appropriate Writ and/or Order Calling upon the Respondents to Show Cause as to why the Order passed by Respondent No. 2, as set out in Annexure 5 above be not quashed. And, after hearing the parties, be further pleased to quash the Order, Vide Annexure 5, and allow the application and make the Rule absolute against the Respondents and/or pass such other Order/Orders as may deem fit and proper.

11

Pending final hearing of this
application, Operation of the impugned
Order, as set out in Annexure 5, be Stayed.

And

For this the Petitioners shall aver pray.

Affidavit

I, Most. Sulechna Devi Aged about Years Wife of Late Laddu Sah Resident of Bhagipur P.S Alam Nagar District Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner No.1 in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the Contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same. The Statements made in Paragraph Nos. 3, 4, 5 & 10, 11 & 12 are true to my Knowledge and those made in Paragraph Nos. 5 to 9 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submission to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are photo/typee copy of its Originals.

Annexure

क्रमांक २१ / २२ दिनांक २० प्रम. गया।

फारम-जी
 बिहार में विच्छेद परसन्त होमस्टीड टिनेसी रल्ट, १९४८ के नियम ५ के उप-नियम (५) के अधीन वासगांत का अभिलेख

गांव का नाम भारीपुर खाना संख्या ३१०३ खंड ३१०३
 पंचायत भारीपुर जिला मधेपुरा
 भूमि के स्वामी का नाम (पुरे ब्योर के साथ) श्री राम प्रसाद साह
पुत्र जगन्नाथ साह पुत्र भारीपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुसूचक का नाम (पिता का नाम, पुरा पता और क्षेत्र के साथ)	खाना संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	बौद्धि	भूमि का प्रकार	समाप्त द्वारा निर्धारित उचित वेतन	हेमिथेव (काम्यमी. मा. सिकमी संकलकार)	केस, हा. बिहार में विच्छेद परसन्त होमस्टीड टिनेसी ऐक्ट की धारा 48 के अधीन	अध्यापक
श्री राम प्रसाद साह के पुत्र श्री जगन्नाथ साह सात भारीपुर	232	726170 2946170	0-0980 (सक डी. व. प्र. ए.)	पक्की सड़क					

कार्यालय का मुहर।

सम्पन्नहर्ता
 जारी आलमसबर (मधेपुरा)

Annex 2

18
12313

Dist. XIV—F. No. 180V

रसीद मालगुजारी।
नाम सकेल। नाम मीजा मय
थाना वो थाना नम्बर।

100 गठ प्रेस गया।
कर लकी/करद रैपती।
नाम रियन मय वलियत जभाबन्दी
पो सकुनत। नम्बर।

अराजी नगदी वराजी भावली तफसील हिसाब नान भावली।

0-0150 9 9

जोत का खालाना मांग मय तफसील (रकामा वो हाल) मीजा साल का।

मांग बाबत	राकामा	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	द्वारा वर्ष।	द्वारा वर्ष।	एला वर्ष।	
माल- (नगदी)	0-00					0-03
गुजारी (भावली)	0-05					0-05
सेस	0-11					0-10
*सूद	0-11					0-10
मुतफरकात	0-22					0-20
मीजान	0-65					0-65

0.0150
- 0.0150

0.0000

तफसील अदायकारी-1

अदायकारी बाबत	तीन वर्ष से ज्यादा।	बकाया				मातावल हाल	राजिल
		द्वारा वर्ष।	द्वारा वर्ष।	एला वर्ष।			
माल- (नगदी)					0-03		
गुजारी (भावली)					0-05		
सेस					0-10		
*सूद					0-10		
मुतफरकात					0-20		
मीजान अदायकारी					0-65		

- (1) मीजान कुल (लाजों में) 0-65 (0.00)
- (2) नाम देहिना
- (3) कुल बकाया

इसका बस वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।
*चास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) चुक नहीं लिया जाता है।

Signature
Date

ए ने क स च र- 3

न्यायालय में,

समाहर्ता, मधोपुरा।

वास्तवीत परचा विविधा आवेदन वाद सं 11/2002

1- रीचन्द्र साह पे. स्व 0 राम प्रसाद साह

2- सुरेन्द्र साह " "

साकिन भागीपुर धाना आलमनगर जिला

मधोपुरा..... आवेदक

बनाम

1- लड्डु साह पे. स्व 0 हरपुल साह

साकिन भागीपुर धाना आलमनगर जिला मधोपुरा

..... विपक्षी।

आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन बिहार

प्रीमीलेज प्रश्नस्त होम स्टेट टेनेन्सी एक्ट 1947

धारा 21 के अन्तर्गत दाखिल कर सविनय निवेदन

करते है:-

1- यह कि आवेदन को मौजा नरथुवा भागीपुर धाना आलमनगर

जिला मधोपुरा में एक जोत छाता नं 232 क्षेत्रा 1951 जमीन हासिल

तथा हकदार वो दालकार होकर अपना धार दवाजा बनाकर रहते थे आ

प्र. 1

2- यह कि आवेदक के पिता स्व० राम प्रसाद साह ने छोसरा 1561 रकवा 2 कठ जमीन कजरिये रजिस्ट्र में केवाला उचित कीमत पाकर हरपुल साह, लेलटु साह-बाला साह एवं वीतन साह पे-स्व० खोक्का साह के हाथ विक्री कर दिया तथा हरपुल साह अपना धार दरवाजा बनाकर रहते फले आ रहे है जिसका हाल सर्वे डायिगन भी हरपुल, साह के चारो भाईयो के नाम दर्ज हुआ है। जिसका नया छोसरा 2195 बना है।

3- यह कि पुनः लड्डु साह पिता हरपुल साह ने पुराना छोसरा 1561 रकवा 15 धुर जमीन उचित कीमत प्राप्त कर आवेदक के पिता राम प्रसाद साह से डारबिदा तथा हकदार को दखालकार हुए वो फले आते रहे। इस तरह हरपुल साह को छोसरा नं 1561 में 2 कठ 15 धुर जमीन हासिल है जिस पर लड्डु साह पिता हरपुल साह एवं हरपुल साह के अन्य भाईयो का धार दरवाजा एवं बाड़ी झाड़ी कायम है। लड्डु साह को मौजा नरकुटवा भागीपुर में लगभग 3 बी-जमीन तबतो वास वो जोत जमीन है।

4 - यह कि विपक्षी लड्डु साह के पिता हरपुल साह गलत कथानो के साथ एक आवेदन वासगीत पर्चा हेतु अंचल कार्यालय, आलमनगर में अंचल अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 26.7.83 ई. को दाखिल किया वो अंचल अधिकारी

आलमनगर ने दिनांक 27.7.83 ई को वासगीत पचा अभिलेखा संख्या 51/83-84 दर्ज किया वो अपने आदेश पत्र में यह अंकित किया कि हल्का कर्मचारी अपना जाच प्रतिवेदन दिया तथा जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि आवेदक गामिहीन है तथा वो आवेदक पूर्व से ही उक्त जमीन में धार बना कर रहते थे आ रहे है। वो आवेदक डोतीहर ब मजदुर है तथा उसके पास के लिये जमीन नहीं है। आवेदक अर्ज करते है कि दिनांक 26.7.83 को विपक्षी लड्डु साह के द्वारा आवेदन दिया गया और पुनः दिनांक 27.7.83 को विपक्षी को हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अफलाधिकारी के कार्यालय में जमाकर करना संभाव नहीं है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि हल्का कर्मचारी ने बिना स्थल जांच किये आवेदक विपक्षी लड्डु साह के भेल वो प्रभाव में आकर गलत प्रतिवेदन दिया है। चूँकि राम पसाद साह का देहान्त हो चुका है इसलिये उनके वारसान उक्त आवेदन टाडाल करते है।

5- यह कि आवेदक यह भी अर्ज करते है कि लड्डु साह ने छपाता 4202 ओसरा 1561 पुराना वो नया 2195 का वासगीत पचा हेतु आवेदन दिया था, लेकिन हल्का कर्मचारी संव अफलाधिकारी ने 1561/2195 के निश्चय वासगीत पचा दिया है जो बिलकुल गलत वो निराधार है।

6- यह कि आवेदक यही भी ब्रज करते हैं कि विपक्षी लड्डु साह का धार दरवाजा नया बॉसरा नं 22195 में पर्व में ही है। जो लड्डु साह एवं उनके पिता ने जमीन खरीद कर धार बनाया है। तथा परिवार के साथ रहते थे आ रहे हैं।

7- यह कि अफलाधिकारी ने जमीन मालिक को कोई नोटिफा तथा जानकारी दिये बिना दिनांक 29-7-83 को बाससीत पर्चा निर्गत हेतु आदेश पारित कर दिया। जो ब्र बिल्कुल गलत को नाजायज है।

8- यह कि बाससीत पर्चा अभिलेखा 51/83-84 इ0अभिलेखा के अफ्लोका से स्पष्ट होता है कि अफलाधिकारी, ने 29-7-83 को बिहार प्रीमीलेज प्रश्नस हेम स्टेट टेनेन्सी एक्ट 1947 के अनुसार पर्चा निर्गत करने का आदेश पारित ब्र किया तथा 2-9-83 ई. को अमीन प्रतिवेदन आया 2-9-83को ही पर्चा निर्गत कर दिया जो बिल्कुल विधि विरुद्ध है।

9- यह कि अफलाधिकारी आलमनगर ने बिना भू-स्वामी को कोई नोटिफा या जानकारी दिये बिना लड्डु साह पे. हरपुल साह के नाम प्रश्न गत भूमि का बाससीत पर्चा निर्गत कर दिया तथा भू-स्वामी को कोई जानकारी नहीं देने दिया।

20 19

-3-

इसलिये अचंलापिठकारी का आदेश बिलकुल निराधार नाजायज को विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि वास्तविक पक्षा अभिलेखा वाट सं 51/83-84 लड्डु साह बनाम राम प्रसाद साह अंश कार्यालय आलमनगर से मंगाकर उसकी पुरी जाय कर आदेशा दिनांक 29-7-83 एवं 29- 2-9-83 को निरस्त करने की कृपा की जाय। प्रार्थनी इसके लिये सदा विनीत रहेगा ।

प्रार्थनी,

हो सुरेन्द्र साह

रविन्द्र साह

Amman 4

20

बिहार



सरकार

16/3/18

सांख्यिकी एवं मृत्यांकन निदेशालय, बिहार
मृत्यु प्रमाण-पत्र

जनम और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६९ के अन्तर्गत निर्गत
भारत १७

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख प्राप्त की गई है,

जो बिहार राज्य के अछेपुरा जिले के जातिमऊरा
तहसील (अंचल प्रखण्ड) के गुरुकुला गाँव स्थानीय क्षेत्र सम्बन्धी रजिस्टर में है।
नाम पुत्र लाल

लिंग पुरुष
मृत्यु की तारीख 27-5-05

मृत्यु का स्थान गाँव

पिता/प्रति का नाम हरप्रताप लाल

स्थायी मता गाँव + पोस्ट - गाँव, पंचायत - गुरुकुला गाँव,
अछेपुरा - जातिमऊरा (अछेपुरा)

रजिस्ट्रीकरण संख्या 15

रजिस्ट्रीकरण की तारीख 1-6-05

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख 5-01-06

24856
11/8/13

01/8/13

Annexure 5
01/8/13

पृ. की सं. - कार. सं. ५६३

न्यायालय समाप्ती एवं जिला दफ्तराधिकारी

पृ. 3

विषय की
संख्या
दिनांक

वासगीत - 11/9009

आवेदन और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदन पर की गई जांच/वार्ड के
में टिप्पणी, तारीख के साथ।

रविन्द्र साह बनाम लड्डू साह

25.3.08 आवेदन की हाजरी। दिनांक-21.4.08
को रखें। उपसमाप्त

21

21.4.08 आवेदन अनु 01 दिनांक - 21.7.08
को रखें। उपसमाप्त

21.7.08 आवेदन की हाजरी। दिनांक - 30.12.08
को रखें। उपसमाप्त

30.12.08 आवेदन अनु 01 दिनांक - 19.1.09
को रखें। उपसमाप्त

19.1.09 आवेदन अनु 01 दिनांक - 20.7.09
को रखें। उपसमाप्त

20.7.09 आवेदन की हाजरी प्राप्त। आवेदन
के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
विपक्षी को मौखिक निर्णय करें। अगली
तिथि को अभय प्राप्त रहस्य करें।
अभिलेख दिनांक 10/08/2009 को रखें।

2-8-70-83
24-3-09

समाप्ती

INDIA *Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Five*
BHAR
628

9 22

Authorization No. 203

RA SCORE MADHEPURA

अनुसूची १४-क्रमांक सं० ५६३

आदेश की क्रम-सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3
10.8.09	आवेदक की हाजरी प्राप्त। दिनांक-12.10.09 को रखें। उप सजा.	
12.10.09	आवेदक की हाजरी प्राप्त। दिनांक-23.11.09 को रखें। उप सजा.	
23.11.09	आवेदक की हाजरी प्राप्त। दिनांक-11.1.10 को रखें। उप सजा.	
11.1.10	आवेदक की हाजरी एवं अन्य काबूजान (वारिवाक) दिनांक-15.2.10 को रखें। उप सजा.	
15.2.10	आवेदक की हाजरी। दिनांक-15.3.10 को रखें। उप सजा.	
15.3.10	आवेदक की हाजरी। दिनांक-19.4.10 को रखें। उप सजा.	
19.4.10	आवेदक की हाजरी। दिनांक-24.5.10 को रखें। उप सजा.	
24.5.10	आवेदक अनुपस्थित। नोटिस ताम्रिसा प्रतिवेदन अप्रप्त। संचय अधिकारी आलमनगर को ताम्रिसा प्रतिवेदन भेजने हेतु समाप्त करें। अगली तिथि को उभय पक्ष उपस्थित रहकर बटुस करें। अभिलेख दिनांक 24.8.2010 को रखें। समाप्त	

INDIA * * * * *
374150
BIHAR
6287 1725

श्री. बी. सं. 146
02-04-10

(3)

23

आदेश की क्रम-सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी, तारीख के साथ

02.8.10

आवेदक अनु०। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा के साथ हाजरी प्राप्त। दिनांक- 18.10.10 को रखें।

उप स्क्रिप्ट

18.10.10

उभय पक्ष अनु०। दिनांक- 22.11.10 को रखें।

उप स्क्रिप्ट

22.11.10

आवेदक की हाजरी। प्रतिवादी अनु०। दिनांक- 10.1.11 को रखें।

उप स्क्रिप्ट

10.1.11

आवेदक की हाजरी। प्रतिवादी अनु०। दिनांक- 28.2.11 को रखें।

उप स्क्रिप्ट अनु०।

28.2.11

आवेदक की हाजरी। प्रतिवादी अनु०। दिनांक- 04.3.11 को रखें।

उप स्क्रिप्ट अनु०।

4/3/11

Rehman present v. P. Khan. Postal Jo

8/4/11

Rehman present Rekt for order

MHL
SK

आदेश

(4)

24

आदेश की दिनांक और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ । 3
	<p style="text-align: center;"><u>आईडी</u></p> <p>आदेश के दिनांक मपिबद्धता वी सुना जाता। प्रस्ताव न्यायालय अथवा रीट अंतर्गत - से पांच से जहाँ यह पाया गया है कि मपतापिबद्धता से अंतर्गत से अंतर्गत अथवा अंतर्गत से अंतर्गत से निम्न अंतर्गत अथवा अंतर्गत से अंतर्गत से अंतर्गत मपतापिबद्धता अंतर्गत अंतर्गत से अंतर्गत अंतर्गत से</p> <p style="text-align: right;">मप्यर 30/11/2008</p>	



[Handwritten signatures and dates]
 1/8/13

[Handwritten signature]
 1/8/13

Tupnema

एनेक सचर - 5

न्यायालय समाहता एवं जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा

बास्पीत पचां 11/2002

रीषन्द्र साह

बनाम

लड्डु साह

25-3-08 आवेदक की हाजरी । दिनांक 21-4-08 को रखें ।

ह0अस्पष्ट

उप समाहतां,

21-4-08 आवेदक अनु. । दिनांक 21-7-08 को रखें ।

ह0अस्पष्ट

उप समाहतां,

21-7-08 आवेदक की हाजरी । दिनांक 30-2-03 को रखें ।

ह0अस्पष्ट

उप समाहतां,

30-12-08 आवेदक अनु. । दिनांक 12-1-09 को रखें ।

ह0अस्पष्ट

उप समाहतां,

19.1.09 आवेदक अनु. 1 दिनांक 20.7.09 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता,

20.7.09 आवेदक की हाजरी प्राप्त। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी को नोटिसा निस्त करें। अगली तिथि की उभय पक्ष बहस करें।

अभिलेख दिनांक 10.8.09 को रखें।

ह0अस्पष्ट

समाहर्ता।

10.8.09 आवेदक की हाजरी प्राप्त। दिनांक 12.10.09 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

12.10.09 आवेदक की हाजरी प्राप्त। दिनांक 11.1.010 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

11.1.010 आवेदक की हाजरी एवं अन्य कागजात दाखिल। दिनांक

15.2.0010 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

15-2-10 आवेदक की हाजरी। दिनांक 15-3-010 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता

15-3-010 आवेदक की हाजरी। दिनांक 19-4-010 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

19-4-010 आवेदक की हाजरी। दिनांक 24-5-010 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

24-5-010 आवेदक अनुपस्थित। नोटिशा तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त।

अंश अधिकारी आलमनगर को तामिला प्रतिवेदन भेजने हेतु स्मारित करें। अगली तिथि को उभय पक्ष उपस्थित रहकर बहस करें।

अभिलेखा दिनांक 2-8-10 को रखें

ह0अस्पष्ट

समाहर्ता।

2-8-010 आवेदक अनु.। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा के

साथ हाजरी प्राप्त। दिनांक 18-10-010 को रखें।

ह0अस्पष्ट
उप समाहर्ता।

18.10.010 उपाय पक्ष अनु०। दिनांक 22.11.010 को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

22.11.010 उ०/ आवेदक की हाजरी। प्रतिवादी अनु०। दिनांक 10.1.011
को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

10.1.011 आवेदक की हाजरी। प्रतिवादी अनु०। दिनांक 28.2.011
को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

28.2.011 आवेदक को हाजरी। प्रतिवादी अनु०। दिनांक 4.3.011
को रखें।

ह0अस्पष्ट

उप समाहर्ता।

4.3.011 अस्पष्ट